(64)

न्यायालय में श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

5 रु. Rs.5 Rs.5 Rs.5 5 रु. Rs.5 INDIA FIVE RUPEES पाँच रुपये विलोपित विलोपित विलोपित

नत्थू लाल सोनी आयु 62 वर्ष पिता शोभाराम सोनी निवासी ग्राम चकेठी तह0 व जिला–अनूपपुर (म0प्र0) निगरानी – 4418/2018/अनूपपुर/भू.रा. निगरानी

बनाम

1. म0प्र0शासन
2. सूरज पिता पण्डा गोड़ निवासी ग्राम सकरा तह0 व जिला–अनूपपुर

...............उत्तरदातागण

Satendra
श्री Sat... द्वारा आज दि० 17-7-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 23-7-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 17-7-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध श्रीमान् तहसीलदार महोदय अनूपपुर जिला–अनूपपुर म0प्र0 के रा0प्र0क्र0 29/अ–03/2016–17 आदेश दिनांक 31/05/2017 के विरूद्ध।

मान्यवर,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नानुसार निगरानी पेश कर **विनय करता** है कि:–

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति ...
पृष्ठ क्र. 01 से 20
दिनांक 17/7/18
हस्ताक्षर व नाम ...

यहकि, उत्तरवादी क्र0 02 के द्वारा ग्राम **चंदवार** प0ह0 चिल्हारी जिला–अनूपपुर के ख0क्र0 29/21/ 1, 29/22/1, 29/22/2/1, 29/22/2/2, 36/2, रकवा क्रमशः 1.538 हे0, **1.214** हे0, 1.416 हे0, 1.417 हे0, 1.700 हे0, कुल 05 किता कुल रकवा **7.285** हे0 के नक्शा तर्मीम हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसका **तहसील** न्यायालय के द्वारा पुष्टि कर दी गई जिससे छुब्द होकर निगरा**नीकर्ता** निम्न आधारों पर निगरानी प्रस्तुत कर रहा है।

Phavid
17.7.18

निगरानी के आधार

1. यहकि, अधिनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटि पूर्ण **होने के** कारण स्थित रखे जाने योग्य नही है।
2. यहकि, राजस्व निरीक्षक के द्वारा निगरानीकर्ता **को राजस्व** निरीक्षक के द्वारा किसी तरह का कोई सूचना पत्र दिनांक **14/09/2016** को नही दिया गया था बल्कि निगरानीकर्ता का हस्ताक्षर **फर्जी रूप** से अंग्रेजी के माध्यम से कर लिया गया था एवं सूचना पत्र के **नत्थू** लाल सोनी पिता रामपाल लिखने के पश्चात् किसी अन्य के द्वारा **पिता के** नाम काटकर शोभाराम अंकित किया गया। किन्तु अधिनस्थ **न्यायालय** ने उसे बिना अवलोकन किये आदेश पारित करने में कानूनी भूल **की है** जिस कारण से उक्त आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

–2–

नत्थूलाल सोनी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्र.क्र. निगरानी–4418/2018/अनूपपुर/भू.रा.

नत्थूलाल सोनी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–09–18	प्रकरण प्रस्तुत । प्रकरण में दिनांक 17.09.2018 को आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सतेन्द्र सिंह उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के तर्क पर सुना गया । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने तहसीलदार अनूपपुर के प्र0क्र0 29/अ–03/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 31.05.2017 के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ मेरे द्वारा आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा ग्राम चंदवार स्थित प्रश्नाधीन भूमि कुल 05 किता एवं कुल रकबा 7.285 हैक्टेयर के नक्शा तरमीम हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा पुष्टि कर दी गई । 4/ अधिसूचना क्रमांक 2543–6408–सात–ना दिनांक 27 जून 1968 (राजपत्र 30.08.68) द्वारा संहिता की धारा 71, 72, 73 (वर्तमान धारा 58, 69, 70) की शक्तियां शासन द्वारा तहसीलदार को प्रदत्त की गई है। ऐसी दशा में तहसीलदार को संहिता की धारा 70 के अन्तर्गत नक्शा तरमीम करने की अधिकारिता है। 5/ संहिता की धारा 44 में यह प्रावधान है कि –" 44 अपील तथा अपीलीय अधिकारी (1) जहॉ अन्यथा उपबन्धित किया गया हो, उसके अतिरिक्त इस संहिता अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रत्येक मूल आदेश की अपील हो सकेगी– (क)	

यदि ऐसा आदेश उपखण्डीय पदाधिकारी के अधीनस्थ किसी भी राजस्व पदाधिकारी द्वारा दिया गया हो, चाहे आदेश देने वाला पदाधिकारी को कलेक्टर की शक्तियॉ विनिहित की गई हो, उपखण्डीय पदाधिकारी को ।

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित मूल आदेश के विरूद्ध धारा 44(1) के अन्तर्गत अपील हो सकती है। संहिता कीधारा 46 में यह प्रावधान है कि–

" 46 कतिपय आदेशों के विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी–किसी भी आदेश की – (क) जिसके द्वारा कोई अपील या पुनर्विलोकन के लिये कोई आवेदन इण्डियन लिमिटेशन एक्ट 1908(1908 का सं.9) की धारा 5 में विनिर्दिष्ट किये गये आधारों पर ग्रहण किया गया है, या

(ख) जिसके द्वारा पुनर्विलोकन के लिये किये गये किसी आवेदन को नामंजूर किया गया है, या

(ग) जिनके द्वारा किसी ऐसे आवेदन को जो रोक(स्टे) के लिये हों, मन्जूर या नामंजूर किया गया है, या

(घ) जो अन्तरिम स्वरूप का है, या

(ड़) जो धारा 104 की उपधारा (2) या धारा 106 की उपधारा (2) के अधीन की नियुक्ति से संबंधित है,

इस संहिता के अधीन कोई अपील नहीं होगी। "

6/ तहसीलदार अनूपपुर द्वारा आदेश दिनांक 31.05.2017 संहिता की धारा 70 के अन्तर्गत पारित कर नक्शा तरमीम के आदेश दिये है। तहसीलदार का यह आदेश अंतिम स्वरूप का है, जिस कारण संहिता की धारा 46 के प्रावधान इस प्रकरण में आकर्षित नहीं होते। इस कारण तहसीलदार द्वारा पारित आदेश संहिता की धारा 44 (1) के अन्तर्गत अपील योग्य है। अपील

के विरूद्ध निगरानी आवेदन पत्र ग्राह्य नहीं किया जा सकता ।

7/ आवेदक द्वारा दिनांक 17.07.2018 को निगरानी आवेदन पत्र राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है, इसलिये न्यायहित में यह आदेश दिये जाते है कि दिनांक 17.07.2018 से राजस्व मण्डल के आदेश की संसूचना आवेदक को होने तक की अवधि की छूट अपील प्रस्तुत करने पर आवेदक को प्रदान की जाये।

8/ उपरोक्तानुसार निगरानी आवेदनपत्र निरस्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हो। इस आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये। तत्पश्चात् प्रकरण पीठासीन अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ हेतु प्रस्तुत किया जाये।

29/9/18

(आर.के. जैन)
सदस्य